न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगापुर जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी– विकास पंचोली (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 466/2018 प्रा.पत्र अन्तर्गत 251 ए आरटीए

अनवान

1. शोभा आत्मज रूपा तेली निवासी बाड़ा मजरा चीड़खेड़ तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा
2. मांगी पुत्री सुरजमल तेली तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा
3. जीवराज आत्मज छोगा जाट निवासी चीड़खेड़ा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा
4. लालु आत्मज पोखर कुम्हार निवासी कुम्हारियाखेड़ा मजरा चीड़खेड़ा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा
5. रतनलाल गोदपुत्र जग्गु कुम्हार निवासी कुम्हारियाखेड़ा मजरा चीड़खेड़ा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा

––प्रार्थीगण

बनाम

1. नानु आत्मज छोगा कुम्हार निवासी कुम्हारियाखेड़ा मजरा चीड़खेड़ा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा
2. रामा आत्मज छोगा कुम्हार निवासी कुम्हारियाखेड़ा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर

––विपक्षीगण

:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राज. काश्तकारी अधिनियम ::

दिनांकः–24.12.2019

:: निर्णय ::

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने विपक्षीगण के विरूद्ध प्रा. पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए R.T.A. का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मजरा चीड़खेड़ा की सीमा में स्थित गांव बाड़ा, कुम्हारियाखेड़ा व चीड़खेड़ा के निवासी होकर इनकी खातेदारी अधिकार की कृषि आराजियात व गै0मु0 चाह राजस्व ग्राम चीड़खेड़ा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा के बेरून हल्का आबादी में प्रार्थी संख्या एक आराजी संख्या 2434, 2436, 2437, 2439, 2440, 2441, 2442 व प्रार्थी संख्या दो आराजी संख्या 2433 गै0मु0 व प्रार्थी संख्या तीन आराजी संख्या 2433 गै0मु0 चाह, आराजी संख्या 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385 व प्रार्थी संख्या चार व पांच आराजी संख्या 2386 गै0मु0 चाह व आराजी संख्या 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2397, 2398, 2399, 2401, 2403, 2404, 2406, 2407 के खातेदार काश्तकार होकर प्रार्थीगण अपनी–अपनी आराजियात में निहित हक व हिस्से की आराजियात पर काबिज काश्त होकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है।

यह कि प्रार्थीगण अपनी– अपनी काबिज काश्त आराजियात व गै0मु0 चाह पर सदैव से हर प्रकार से साधनो से आवागमन आबादी गांव कुम्हारियाखेड़ा से दक्षिण दिशा की ओर आराजी संख्या 2481 बिलानाम गै0मु0 रास्ताा में से होकर आराजी संख्या 2441 की पूर्व मेड़ से सटमा आरांजी संख्या 2443 बिलानाम गै0मु0 रास्ता से होकर विपक्षी संख्या एक व दो के संयुक्त खातेदारी की आराजी संख्या 2432 रकबा 0.14 हे0 जिसमे गै0मु0 रास्ता 0.07 हे0 दर्ज अभिलेख है में से होकर प्रार्थीगण अपनी–अपनी काबिज काश्त आराजियात व गै0मु0 चाह पर पूर्वजो के समय से ही बिना विघ्न आवागमन करते चले आ रहे है। उक्त रास्ता मौके पर मौजूद होकर करीब 40 वर्षो से खुला होकर अनवरत चालु था।

यहि कि विपक्षी संख्या एक व दो ने आराजी संख्या 2432 रकबा 0.14 हे0 जिसमे गै0मु0 रास्ता 0.07 हे0 दर्ज अभिलेख है को खातेदारी मे होने से उक्त आराजी की उत्तरी मेड़ पर कच्चे पत्थरों की दीवार करीब 5–6 फीट उंचाई में बना कर प्रार्थीगण का आवागमन बंद कर दिया ।

उपखण्ड अधिकारी गंगापुर जिला भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner

अतः सादर प्रार्थना है कि विपक्षी संख्या एक व दो के खातेदारी की आराजी संख्या 2432 रकबा 0.14 हे0 भूमि जिसमें 0.07 हे0 भूमि गै0मु0 रास्ता दर्ज अभिलेख है को आवागमन के लिए रास्ता हेतु बिलानाम रास्ता आराजी संख्या 2442 व 2384 की पुर्वी मेड़ से सटमा उत्तर से दक्षिण लम्बाई में दर्ज अभिलेख हाल राजस्व नक्शा ट्रेस में किया जावे व उक्त रकबा राजस्व रेकार्ड में बिलानाम गै0मु0 रास्ता दर्ज अभिलेख किया जावे तथा उक्त रकबे की मुआवजा प्रतिकर राशि तय करा प्रार्थीगण से विपक्षीगण संख्या एक व दो को समान अनुपात में दिलाई जावें।

प्रा. पत्र इस न्यायालय में दिनांक 06.08.2018 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को नोटिस जारी किये गये। विपक्षीगण नं. 02 अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये जाते है। विपक्षी सं0 1 द्वारा जवाब पेश नही जवाब बंद किया जाता है पेरोकार सरकार उपस्थित। तथा प्रकरण में मौका निरीक्षण करवाया जाकर मौका रिपोर्ट दिनांक 29.11.2019 को प्रस्तुत की जिसे शामिल मिसल किया गया।

मौका पर्चा अनुसारः–

यह कि आराजी नं0 2432 रकबा 0.7 हे0 गै0मु0 रास्ता होकर उक्त भूमि प्रतिवादी के नाम खातेदारी हक से दर्ज रेकार्ड है।

यह कि मौके पर वर्तमान में रास्ता बंद है ।

यह कि वर्तमान में वादी स्वयं की आराजी नं0 2441, 2442 में से होकर आवागमन कर रहा है।

यह कि आराजी नं0 2384 में आवागमन के लिए आराजी नं0 2342 में से होकर ही आवागमन करना जाहिर आया है।

यह कि मौके पर उक्त रास्ते के अलावा अन्य सुलभ रास्ता नहीं है।

यह कि उक्त रास्ते के लिए ग्राम चीड़खेड़ा के आराजी नं0 2432 में से .07 हे0 भूमि रास्ता हेतु उपयोग में आ रहा है। जिसकी किस्म गै0मु0 रास्ता ही दर्ज रेकार्ड है। आराजी नं0 2432 में से 0.07 हे0 रकबा प्रभावित होता है। ग्राम चीड़खेड़ा की असिंचित पास की कृषि भूमि की वर्तमान डी0एल0सी0दर 2,82,229 /– प्रति हेक्टयर निर्धारित है जिसके अनुसार रास्ते हेतु प्रस्तावित 0.07 हे0 भूमि की मालियत 19757/–रूपये होती है जिसकी दुगुनी राशि 39514/– रूपये होती है।

यह कि वर्तमान में जो रास्ता मौके पर है तथा प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता जिसे संलग्न राजस्व नक्शें में लाल स्याही से दर्शाया गया है।

वर वक्त सुनवाई प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण व पेरोकार सरकार को मजमे आम में सुना गया। प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने प्रा. पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया ।

मैनें पत्रावली का आधोपान्त अवलोकन किया तथा प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण व पेरोकार सरकार द्वारा वक्त सुनवाई बताये गये तथ्यों पर गहनता से मनन किया। ग्राम चीड़खेड़ा प0ह0 चीड़खेड़ा के आराजी नं0 2442, 2384 में कोई रास्ता नहीं है। मौके पर वर्तमान में कोई रास्ता नहीं है एवं रास्ते के निशानात भी नही है। मौका स्थिति अनुसार कोई अन्य रास्ता नहीं है। यह कि प्रार्थीगण के बताये अनुसार विपक्षीगण के आराजी नं0 2432 में से 0.07 हे0 प्रार्थीगण की आराजी संख्या 2442 व 2384 में जाने हेतु चाहा गया है। प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता राजस्व नक्शे में दर्शाया गया है। रास्ते हेतु उक्त आराजी संख्या 2432 में से 0.07 हे0 भूमि का रास्ता भुमि का नवीन रास्ता दर्ज किया जाना उचित प्रतित होता है अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थीगण का प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 251 आर टी एक्ट का स्वीकार किया जाने योग्य पाया जाता है। अतएवं

उपखण्ड अधिकारी गंगापुर जिला भीलवाड़ा

2.

Scanned by CamScanner

प्रकरण संख्या :– 460/2018
प्रा.पत्र अन्तर्गत 251 ए आरटीए

:: आदेश ::

प्रार्थीगण का प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर टी ए का स्वीकार किया जाता है। ग्राम चीड़खेड़ा प0ह0 चीड़खेड़ा की आराजी संख्या 2442 व 2384 में आने जाने के लिऐ विपक्षीगण की ग्राम चीड़खेड़ा की आराजी नं0 2432 में से .07 हे0 भूमि रास्ता हेतु उपयोग में आयेगी जिसकी वर्तमान डी0एल0सी0दर 4,35,442/– है। उक्तानुसार रास्ता हेतु उपयोग में आने वाली भूमि का Govt. Of Rajasthan Revenue (Gr-6) Department के परिपत्र NOF 3(2)Rev.6/03/pt./7 Date 02-03-2012 के अनुसार बनने वाली भूमि की डी0एल0सी0दर के अनुसार मालीयत 19757/–होती है। इसकी दुगुनी राशि 39514/–प्रार्थीगण विपक्षीगण खातेदार न. 1 लगायत 2 को भुगतान करने के पश्चात उक्त 0.07 हैक्ट. भुमि को बिलानाम में गै. मु. रास्ता दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार सहाड़ा द्वारा प्रार्थीगण से उक्तानुसार राशि 39514/– प्रार्थी से वसुल कर विपक्षीगण नं0 1 लगायत 2 को जरिये नोटिस सूचित करा राशि उपलब्ध करावें विपक्षीगण द्वारा राशि प्राप्त नहीं करने पर उक्त राशि नियमानुसार राजकोष में जमा करवाई जाकर ग्राम चीड़खेड़ा की आराजी नं0 2432 में से .07 हे0 भूमि को गै0मु0 सार्वजनिक रास्ता दर्ज करें तथा तदनुसार नक्शें में तरमिम की जावें। पत्रावली बाद दाखला रजिस्टर के फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 24.12.2019 मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(विकास पचोली)
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2019.12.24 15:31:24 IST
Reason: SelfAttested
Location: